Dr. Purnima Singh
Department of Political Science
B.A part II. 1.A 1st year paper- III
Indian Government and politics. Topic- Federalism and Indian union. Lecture-55.

संघवाद और भारतीय संघ (Federalism and Indian union) - 1

संघीय शासन व्यवस्था (Federation) की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'फोयडस' (Foedus) से हुई है। इसका अर्थ है 'सन्धि या समझौता'। यह सन्धि या समझौता संघ स्थापित करने के इच्छुक विभिन्न राज्यों के बीच किया जाता है। इस लिखित सन्धि या समझौते में शामिल राज्य दो तरह की शासन-व्यवस्था स्थापित करने का निश्चय करते है। इन दो तरह की शासन व्यवस्थाओं में से एक सन्धि में शामिल राज्यों की अपनी-अपनी स्वतन्त्र सरकारें होती है और दूसरी केन्द्र की सरकार होती है।

संघ की परिभाषा और अर्थ
(Meaning and Definition of Federation)

संघ की परिभाषा अनेक विद्वानो ने अलग-अलग ढंग से की है, प्रोफेसर के० सी० व्हीयर का कहना है कि "एक संघीय संविधान में सरकार की शक्तियों का बंटवारा पूरे देश की एक सरकार और उसमें शामिल होने वाली इकाई राज्यों की सरकारों के बीच इस तरह किया जाता है कि इस संघ में शामिल प्रत्येक सरकार अपने-अपने क्षेत्र में कानूनी रूप से पूरी तरह स्वायत्त या स्वतन्त्र होती है।" (In a federal Constitution the powers of Govt. are divided between a Govt for the whole Country and Govt for parts

of the Country in such a way that each Govt. is legally independent within its own sphere).

इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि संघीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक और कानूनी रूप से दो तरह की सरकारें स्थापित की जाती हैं और वे आपस में एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसके साथ ही केन्द्र सरकार और संघ में शामिल इकाई राज्यों की सरकारों की स्थिति, कार्य और शक्तियों का पूरी स्पष्टता के साथ लिखित रूप में विवरण दे दिया जाता है, जिससे दोनों तरह की सरकारें अपने लिए निर्धारित अपने-अपने क्षेत्र में कार्य कर सकें। इसमें दो तरह की सरकारें होती हैं -

1. संघीय, राष्ट्रीय या केन्द्र सरकार
2. क्षेत्रीय सरकारें - इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में 'राज्य' स्विट्जरलैंड में 'कैन्टन' और कनाडा में 'प्रॉविन्स' (प्रान्त) कहा जाता है।

संघीय शासन में शक्तियों का वितरण (Distribution of Powers in a Federation)

दुनिया में स्थापित संघ शासन व्यवस्था से इस बात का पता चलता है कि केन्द्र और प्रान्तों के बीच शक्तियों का वितरण प्रायः तीन तरीकों से किया जाता है -

1. केन्द्र या संघ और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखे जाने वाले कार्यों का लिखित विवरण, जैसा भारत में है।
2. केन्द्र या संघ सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले विषयों का विवरण देकर शेष समस्त विषय इकाई राज्यों को सौंप देना। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और आस्ट्रेलिया ने इसी विधि को अपनाया है।
3. इकाई राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले विषयों का लिखित ब्यौरा देकर शेष समस्त

विषय केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखना। कनाडा इसी प्रणाली का उदाहरण है।
(65)

अधिकार क्षेत्र का विभाजन करते समय यह भी देखा गया है कि केन्द्र और इकाई राज्यों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों की लिखित सूची देते समय तीन सूचियों का भी सहारा लिया जाता है। ये निम्नलिखित हैं —

प्रथम - केन्द्र सूची (centre list)
द्वितीय - राज्य सूची (state list)
तृतीय - समवर्ती सूची (Concurrent list)

संघ शासन की विशेषताएँ (Features of a federal system)

संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। संघात्मक सरकार की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार से हैं —

1. लिखित संविधान (written constitution) संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान प्रायः लिखित होता है। केन्द्र और प्रान्तों में संविधान के अनुसार शक्तियों का बँटवारा होता है। अमेरिका में लिखित संविधान है, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद दिए गए हैं, भारत का संविधान भी लिखित है, इसमें शक्तियों के बँटवारे के लिए तीन सूचियाँ दी गई हैं —

2. दो प्रकार की सरकारों का होना (Two Types of Government) - संघ सरकार में दो प्रकार की सरकारों का अस्तित्व होता है - केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें। भारत और अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों का अस्तित्व पाया जाता है।

3. इकाइयों को संवैधानिक मान्यता (Constitutional status to units) - संघ सरकार में इकाइयों का अस्तित्व केन्द्र सरकार पर निर्भर नहीं करता बल्कि संविधान द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है।

से अपना अलग संविधान, अलग राष्ट्रीय झंडा अपना सकते हैं।

5. संविधान की सर्वोच्चता (supremacy of the Constitution) – संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। केन्द्र और राज्य सरकारें संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती।

6. संविधान में संशोधन करने की जटिलता (Rigidity of the Constitution) संघात्मक सरकार की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और कठोर होती है। न तो संघ सरकार और न ही प्रान्तीय सरकार अपनी मर्जी से संविधान में कोई बदलाव कर सकती है। संशोधन करने के लिए एक विशेष विधि अपनानी पड़ती है। भारत और अमेरिका में संघात्मक सरकारें होने के कारण संविधान में संशोधन करने के लिए संसद द्वारा दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से तथा आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं द्वारा विधेयक पारित होना अनिवार्य है। ~~अमेरिका का संविधान इतना कठोर है कि इसमें अब तक क~~

7. दोहरी नागरिकता (Dual citizenship) – संघात्मक शासन प्रणाली में दो प्रकार की नागरिकता रहती है। एक तो तमाम (पूरे) राष्ट्र की और दूसरी उस प्रान्त की जिस प्रान्त से नागरिक सम्बन्धित हैं, जैसे अगर कोई नागरिक New York का रहने वाला है तो उसे न्यूयार्क की नागरिकता भी मिलेगी और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी। भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता दी गई है,

8. स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायपालिका) Independent and impartial Judiciary)